भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1952

(01 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत महिला स्वामी

1952. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:
श्री कुरुवा गोरांतला माधवः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाईजी) के अंतर्गत कितने कच्चे मकानों को पक्के मकानों में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने मकानों के स्वामित्व अथवा स्वीकृति संबंधी ब्यौरे में महिला सदस्यों के नाम सम्मिलित किए हैं:

(ग) यदि हां, तो प्राप्त लक्ष्य की तुलना में उन महिलाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जो पूर्ण या संयुक्त रूप से मालिक हैं;

(घ) क्या सरकार ने एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली के लिए लोकपाल की नियुक्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो दर्ज की गई शिकायतों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है। दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 2,14,83,792 पक्के मकान बनाने का काम पूरा कर लिया गया था।

(ख) और (ग): पीएमएवाई-जी दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि मकान का आवंटन विधवा/ अविवाहित/पति या पत्नी से अलग रहने वाले व्यक्ति के मामले को छोड़कर पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा। राज्य केवल महिला के नाम पर मकान आवंटित करने का विकल्प भी चुन सकता है। इसके अलावा, महिलाओँ का सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक परामर्शिका जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी मकानों के स्वीकृति ब्यौरे/स्वामित्व ब्यौरे (केवल महिला के नाम पर या पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर) में परिवार की महिला सदस्यों के नाम शामिल किए जाने चाहिए और यह कि जिन मकानों की प्रारंभिक स्वीकृति पुरुष सदस्य के नाम पर पहले ही दी जा चुकी है उन मकानों के स्वीकृति पत्रों में महिला सदस्य (सदस्यों) को मकान के दूसरे मालिक के रूप में शामिल किया जाए। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बनाए गए कुल 2.41 करोड़ मकानों में से दिनांक 28.07.2023 की स्थिति के अनुसार 64,31,304 मकान केवल महिलाओं के नाम पर हैं और 1,02,52,451 मकान पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम पर हैं जिनकी कुल संख्या 1,66,83.755 (69.08%) है।

(घ) और (ङ): पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों और अनियमितता के मामलों का निपटान करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत लोकपाल की सेवाएं लेनी चाहिए। इन लोकपालों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आने वाले क्षेत्राधिकार में पीएमएवाई-जी के लिए लोकपाल के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जानी होती है। पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों से संबंधित शिकायतों जैसे पहचान , मकान के आवंटन , लाभ दिए जाने से मना करने इत्यादि से संबंधित अभिलेखों में विसंगति पर विचार करने के बाद शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आदेश पारित किए जाने चाहिए। पीएमएवाई-जी की शुरुआत अर्थात 01.04.2016 से 28.07.2023 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में सीपीजीआरएएमएस पर पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल 13,673 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि पीएमएवाई-जी को राज्य सरकार कार्यान्वित करती है , इसलिए इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने और उसकी सूचना इस मंत्रालय को देने के लिए राज्य को अग्रेषित किया गया है। दिनांक 28.7.2023 की स्थिति के अनुसार 13,673 शिकायतों में से 13,509 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।

*****